प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांकः- 26.09.2025 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरणः

- थाना रूरा पुलिस द्वारा अभियुक्त रामनरेश पुत्र बाबू उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम हंसपुर थाना रूरा जनपद कानपुर देहात को अभियुक्त द्वारा आने जाने वाली लड़कियों को देखकर अश्लील हरकते व इशारे करने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0- 302/25 धारा 296 B बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त आलोक पुत्र ब्रम्हादीन उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम बढ़ौली थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात को अभियुक्त द्वारा महिलाओं व लड़कियो को देखकर अश्लील गानें गाना व मुंह से सीटी बजाना व भद्दे-भद्दे कमेन्ट करने के संबंध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0- 318/2025 धारा 296 बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त कमलेश कठेरिया पुत्र स्व0 अशर्फीलाल उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम पातेपुर, अमरौधा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात अभियुक्त द्वारा महिलाओं व लड़कियो को देखकर अश्लील गाने गाना व भद्दे-भद्दे कमेन्ट करने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0- 319/2025 धारा 296 बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना शिवली पुलिस द्वारा अभियुक्त करन सिंह पुत्र वीरबहादुर सिंह भदौरिया उर्फ लाला भदौरिया निवासी ग्राम गारव मैथा थाना शिवली जनपद कानपुर देहात उम्र 21 वर्ष अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करना व अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तंमचा 315 बोर जिसकी बैरल में एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर एवं एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद होने के सम्बन्ध मे गिरफ्तार कर मु0अ0सं0- 0285/2025 धारा 109 भारतीय न्याय संहिता व 9/25/27 आयुधअधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा अभियुक्त मंगलसिंह पुत्र अशोक कुमार निवासी ग्राम रसधान थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात के अभियुक्त के कब्जे सें 16 अदद देशी शराब के क्वार्टर बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 0158/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 17 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें, थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा 04 व्यक्तियों, थाना रूरा पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना गजनेर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियो, थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियो, थाना राजपुर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना मूसानगर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियो, थाना शिवली पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान किया ।